R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XI ◆ अंक 8
फरवरी 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

बैंकों का बीमा कारोबार में प्रवेश

रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2015 को बैंकों को अनुमति दी कि वे सहायक/संयुक्त उद्यम स्थापित कर या विभागीय रूप से बीमा दलाली/बीमा एजेंसी या निश्चित शर्तों के अधीन सहायक संस्था के माध्यम से बीमा एजेंसी का कारोबार कर सकते हैं। तथापि, यदि कोई बैंक या इसकी समूह संस्था जिसमें सहायक संस्थाएं शामिल हैं, दलाली या कॉर्पोरेट एजेंसी मोड के माध्यम से बीमा वितरण करता है तो बैंक/अन्य समूह संस्थाओं को बीमा वितरण कार्यकलाप करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य शब्दों में समूह में केवल एक संस्था उपर्युक्त किसी एक पद्धति के माध्यम से बीमा वितरण का कार्यकलाप कर सकती है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा बीमा कारोबार करने संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के बाद इन दिशानिर्दशों को संशोधित किया।

जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कार्यकलाप करने के लिए सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाले बैंक

बैंकों को विभागीय रूप से जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं है और वे ऐसा इस प्रयोजन हेतु स्थापित सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो बैंक नीचे दिए गए पात्रता मानदंड (पिछले वर्ष के 31 मार्च को) पूरा करते हैं, वे जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कारोबार करने के लिए सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

- बैंक की निवल मालियत ₹1000 करोड़ से कम नहीं हों;
- बैंक का सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम नहीं हो;
- अनर्जक आस्तियों का स्तर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;
- बैंक ने पिछले तीन वर्षों में लगातार निवल लाभ अर्जित किया हो;
- संबंधित बैंक की सहायक संस्थाओं, यदि कोई हों, के कार्यनिष्पादन का ट्रैक रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए।

यह ध्यान रखा जाए कि आम तौर पर किसी बैंक की सहायक संस्था और अन्य किसी बैंक को जोखिम सहभागिता आधार पर बीमा की इक्विटी में योगदान करने की अनुमति नहीं होगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बीमा कारोबार में रहने वाले जोखिम उक्त बैंक को अंतरित नहीं किए जाएं और बैंकिंग कारोबार बीमा कारोबार से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के जोखिमों से प्रभावित नहीं हो। बैंक और बीमा संस्था के बीच 'उचित दूरी' का संबंध होना चाहिए।

ii) सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीमा दलाली/कॉर्पोरेट एजेंसी का कार्य करने वाले बैंक

सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। तदनुसार, बीमा दलाली/कॉर्पोरेट एजेंसी का कार्य करने के लिए सहायक संस्था स्थापित करने के इच्छुक और नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों (पिछले वर्ष के 31 मार्च को) को पूरा करने वाले बैंक ऐसी सहायक संस्था/संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क करें:

- ऐसी कंपनी की इक्विटी में निवेश करने के बाद बैंक की निवल मालियत ₹500 करोड़ से कम नहीं हो;
- बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10 प्रतिशत से कम नहीं हो;

(पृष्ठ 2 पर जारी)

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• बैंकों का बीमा कारोबार में प्रवेश	1
• बैंकों द्वारा सूचना प्रदर्शित करना	2
• इरादतन चूककर्ताओं की सूची से कतिपय निदेशकों को हटाना	2
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता	2
• मौद्रिक नीति वक्तव्य	2
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रतिभूति	3
• गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी की गारंटी	3
• विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारत में विदेशी निवेश	3
• भारत में मालों का आयात	3
• नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा सोने का आयात	3
भुगतान प्रणालियां	
• उत्पादों के लिए अपने ब्रैंड नामों के साथ कंपनी का नाम प्रदर्शित करें	3
• टीआरईडीएस की स्थापना और परिचालन की समय-सीमा	3
• भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाली संस्था की निवल मालियत	3
वित्तीय समावेशन और विकास	
• 2,000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवा	3
मुद्रा प्रबंध	
• भारतीय रिज़र्व बैंक 1 रुपया करेंसी नोट जारी करेगा	4
समिति/दिशानिर्देश	
• बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई	
• लघु / भुगतान बैंकों के लिए बाह्य परामर्शदात्री समिति	4
• शहरी सहकारी बैंकों पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति	4
• सीसीबी के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश	4

मौद्रिक नीति वक्तव्य

मौजूदा और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति के मूल्यांकन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 03 फरवरी 2015 को घोषित अपने छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रेपो दर को 7.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए;
- वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निवलमांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।
- 07 फरवरी 2015 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में 50 आधार अंकों की कटौती कर उनके एनडीटीएल के 22.0 प्रतिशत से 21.5 प्रतिशत कर दिया जाए;
- 07 फरवरी 2015 से निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के स्थान पर प्रणाली स्तरीय चलनिधि का प्रावधान शुरू किया जाए;
- नीलामियों के माध्यम से बैंक-वार निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.25 प्रतिशत पर ओवर नाइट रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना तथा बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.75 प्रतिशत तक 7-दिवसीय और 14-दिवसीय रेपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए।
- चलनिधि की आसान पहुंच के लिए दैनिक परिवर्तनीय दर मीयादी रिपो और प्रत्यावर्तनीय रिपो नीलामियां जारी रखी जाएं।

परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.75 पर बनी रहेंगी।

इससे पहले 15 जनवरी 2015 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीति रिपो दर को तत्काल प्रभाव से 8 प्रतिशत से 25 आधार अंक कम करके 7.75 प्रतिशत किया था। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 6.75 प्रतिशत पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 8.75 पर समायोजित हो जाएगी।

बैंकों द्वारा सूचना प्रदर्शित करना

ऋण के मूल्य निर्धारण में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने 22 जनवरी 2015 को बैंकों को सूचितकिया कि वे निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदेशों का 1 अप्रैल 2015 से पालन करें:

क) वेबसाइट:

- बैंकों वैयक्तिक उधारकर्ताओं को दिए गए विभिन्न श्रेणी के अग्रिम तथा ऐसे ऋण के लिए मध्यवर्ती ब्याज दर सहित पिछली तिमाही के संविदागत ऋणों की ब्याज दर की विस्तार-सीमा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- वैयक्तिक उधारकर्ता को दिए जानेवाले विभिन्न प्रकार के ऋणों पर प्रयोज्य कुल शुल्क और प्रभार ऋण प्रोसेसिंग के समय प्रकट करें और इसके साथ ही पारदर्शिता और तुलना के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें ताकि ग्राहकों को निर्णय लेने में आसानी हो।
- बैंक वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) या वैयक्तिक उधारकर्ता को ऋण पर कुल उधार लागत दर्शानेवाली इस प्रकार की अन्य व्यवस्था अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें ताकि ग्राहक सभी उत्पाद तथा / या उधारकर्तावार ऋण की लागत की तुलना कर सके।

पृष्ठ 1 से जारी

बैंकों का बीमा कारोबार में प्रवेश

- निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;
- बैंक ने पिछले तीन वर्षों में लगातार निवल लाभ अर्जित किया हो;

संबंधित बैंक की सहायक संस्थाओं, यदि कोई हो, के कार्यनिष्पादन का ट्रैक रिकार्ड संतोषजनक हो।

दोनों मामलों में रिज़र्व बैंक के अनुमोदन में बैंक की कार्यपद्धति के विभिन्न पहलुओं जैसे कॉर्पोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंध आदि पर विनियामक और पर्यवेक्षी सहजता शामिल होगी।

विभागीय रूप से कॉर्पोरेट एजेंसी का कार्य/दलाली कार्य करने वाले बैंक

बैंकों को बिना जोखिम सहभागिता के शुल्क आधार पर कॉर्पोरेट एजेंटों के रूप में कार्य करने /आईआरडीए के विनियमों और कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन विभागीय रूप से बीमा दलाली कार्यकलाप करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

संदर्भित सेवाएं करने वाले बैंक

आईआरडीए विनियमावली, 2010 (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस साझा करना) के मामले में वर्तमान में कोई भी बैंक बीमा संदर्भित कारोबार करने के लिए पात्र नहीं है।

(ख) प्रमुख विवरण / तथ्य विवरण :

बैंक एक निर्धारित प्रपत्र में सभी वैयक्तिक उधारकर्ताओं को ऋण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर तथा ऋण के नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन करने की स्थिति में एक पृष्ठ का स्पष्ट, संक्षिप्त प्रमुख तथ्य विवरण/ तथ्य विवरण उपलब्ध कराएं। इसे क्रेडिट करार में सारांश बाक्स के रूप में भी शामिल किया जाना चाहिए।

इरादतन चूककर्ताओं की सूची से कतिपय निदेशकों को हटाना

रिज़र्व बैंक ने 7 जनवरी 2015 को इरादतन चूककर्ताओं पर मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट सर्वाधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर कंपनी की ऋण संविदाओं के प्रबंध में गैर-प्रवर्तक/गैर-पूर्णकालिक निदेशकों (नामिति और स्वतंत्र निदेशक) के नाम उनकी सीमित भूमिका की दृष्टि से इरादतन चूककर्ताओं की सूची में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इरादतन चूककर्ताओं की पहचान करने हेतु अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया में कुछ मौलिक बदलाव किए गए हैं।

गैर-बैंकिंग विनियमन

क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता

रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी 2015 को सभी क्रेडिट संस्थाओं (सीआई) को निदेश दिया है कि वे तीन महीने के अंदर निम्नलिखित कार्य करें-

- सभी क्रेडिट संस्थाएं क्रेडिट सूचना कंपनियों का सदस्य बनें और उन्हें आंकड़े (पुराने आंकड़ों सहित) प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त सीआईसी और सीआई उनके द्वारा प्राप्त/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर या सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत लघु अवधि पर नियमित रूप से अद्यतन करें। वर्तमान में चार क्रेडिट सूचना कंपनियों यथा- क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड,इक्यूईफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपेरियन क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तथा सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इनफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। प्रत्येक ऋण देने वाली संस्था को कम से कम एक सीआईसी का सदस्य होना चाहिए। एक सीआईसी केवल अपने सदस्यों (ऋण देने वाली संस्था/ सीआईसी) से ही क्रेडिट सूचना रिपोर्ट की मांग कर सकती है।
- दूसरा, क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा क्रेडिट संस्थाओं से अपना सदस्य बनने के लिए मांगी जाने वाली एकबारगी सदस्यता शुल्क प्रत्येक से ₹10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। सीआईसी द्वारा सीआई से वसूल किया जाने वाला वार्षिक शुल्क प्रत्येक से ₹5000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

विदेशी मुद्रा प्रबंध

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रतिभूति

रिज़र्व बैंक ने 01 जनवरी 2015 को श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारियों (एडी श्रेणी-।) को अचल आस्तियों, चल आस्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों का ऋण-भार (चार्ज) तैयार करने तथा विदेशी ऋणदाता/ प्रतिभूति न्यासियों के पक्ष में कॉर्पोरेट और / या वैयक्तिक गारंटियां जारी करने, उधारकर्ता द्वारा जारी किए जाने वाले / जारी किए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) को प्रतिभूत करने की अनुमति दी, बशर्ते उन्हें शर्तें पूरी करनी होंगी। ईसीबी और अंतर्निहित ईसीबी के साथ समाप्त होने वाली प्रतिभूति की वैधता अवधि के दौरान श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारी बैंक अचल आस्तियों, चल आस्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर ऋण-भार तैयार करने, कॉर्पोरेट और / या वैयक्तिक गारंटियां जारी करने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन दे सकते हैं।

गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए अनिवासी की गारंटी

रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी 2015 को यह स्पष्ट किया कि ऐसे निवासी भी अपनी अनिवासी समूह संस्था की गारंटी के बल पर श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारी के पास निष्पादित अनुमेय डेरिवेटिव संविदाओं के माध्यम से अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का बचाव (हेज) कर सकते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनी है। गारंटी के अंतर्गत अनिवासी गारंटीकर्ता को देयता से उन्मोचित करने और उसके बाद मुख्य देनदार द्वारा की जाने वाली देयता की चुकौती की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा।

विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारत में विदेशी निवेश

रिज़र्व बैंक ने 03 फरवरी 2015 को सभी अधिकृत व्यक्तियों को अनुदेश दिया कि विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा कंपनी बॉण्डों में निवेश की सीमा के अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले सभी निवेश ऐसे कंपनी बॉण्डों में किए जाने अपेक्षित हैं जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि तीन वर्ष की हो। इसके अलावा, बिक्री या मोचन के कारण मौजूदा निवेश के घट जाने पर निर्धारित सीमा तक भविष्य में केवल ऐसे कंपनी बॉण्डों में निवेश करना अपेक्षित होगा जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि तीन वर्ष की हो। एफपीआई आगे चलनिधि और मुद्रा बाज़ार म्यूच्युअल फंड योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते। तथापि, कोई लॉक-इन अवधि नहीं होगी और एफपीआई देशी निवेशकों को प्रतिभूतियां (जिनके अंतर्गत वर्तमान में उनके पास मौजूद तीन वर्ष से कम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियां भी शामिल हैं) बेच सकते हैं। इस संबंध में परिचालन दिशानिर्देश, यदि कोई हों, सेबी द्वारा जारी किए जाएंगे।

भारत में मालों का आयात

रिज़र्व बैंक ने प्रक्रियाओं को उदार बनाने के एक अंश के रूप में 12 फरवरी 2015 को भारत में आयात करने के लिए भुगतान करने हेतु श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों को फार्म ए-1 में अनुरोध प्रस्तुत करने की अपेक्षा को बंद कर दिया। तथापि, श्रेणी-। के प्राधिकृत व्यापारियों को आयातकों से सभी अपेक्षित ब्योरे प्राप्त कर लेने चाहिए तथा वे धनप्रेषण करने से पहले इन लेनदेनों की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हो जाएं।

इससे पहले 21 फरवरी 2012 की अधिसूचना के अनुसार फर्मों और कंपनियों को भारत में आयात कराने की बाबत 5,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक या उसके बराबार की राशि अदा करने के लिए फार्म ए-1 में आवेदन करना था।

नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा सोने का आयात

रिज़र्व बैंक ने 20:80 योजना वापस लेने के परिणामस्वरूप सोने के आयात पर दिशानिर्देशों के कुछ परिचालनात्मक पहलुओं पर 18 फरवरी 2015 को स्पष्टीकरण दिया है जैसे:

(i) 28 नवंबर 2014 अर्थात 20:80 योजना के समापन की तारीख से पहले अप्रयुक्त आयातित सोने के मामले में 20:80 योजना के अंतर्गत निर्यात बाध्यता लागू रहेगी।

(ii) नामित बैंकों को अब प्रेषण आधार पर सोने के आयात की अनुमति है। तथापि, घरेलू रूप से सोने की सभी प्रकार की बिक्री अपफ्रंट भुगतान के लिए होगी। बैंक स्वर्ण धातु का ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iii) स्टार एंड प्रीमियर ट्रेडिंग हाउसिज़ (एसटीएच/पीटीएच) बिना किसी अंतिम उपयोग संबंधी प्रतिबंधों के पात्रता के अनुसार भुगतान पर देय प्रलेख (डीपी) आधार पर सोने का आयात कर सकते हैं।

(iv) जबकि लंबित आगामी समीक्षा को देखते हुए सोने के सिक्कों और मेडेलियनों के आयात पर प्रतिबंध नहीं होगा, सोने के सिक्कों और मेडेलियनों की बिक्री में बैंकों पर प्रतिबंध नहीं हटाए जा रहे हैं।

भुगतान प्रणालियां

उत्पादों के लिए अपने ब्रैंड नामों के साथ कंपनी का नाम प्रदर्शित करें

प्रचार सामग्री में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के साथ सदा के लिए संबंध बनाए रखने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 02 जनवरी 2015 को देश में भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाली सभी प्राधिकृत संस्थाओं को सूचित किया कि वे निम्नलिखित मदों का अनुपालन करें :

(i) उत्पाद के संबंध में आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही सभी सूचनाओं, चाहे वह वेबसाइट पर विज्ञापन हो या आवेदन पत्र, में भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्था/कंपनी का नाम साफ-साफ दिखाई देना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत संस्थाओं/कंपनियों को अपने उत्पादों के लिए प्रयुक्त किए गए / किए जाने वाले ब्रैंड नामों की सूचना भी रिज़र्व बैंक को नियमित रूप से देनी चाहिए।

भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम के अंतर्गत देश के अंदर भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाली संस्था को रिज़र्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होगा। रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद किसी संस्था को प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) कंपनी के नाम पर जारी किया जाता है। तथापि, अनेक प्राधिकृत संस्थाएं, जो अपने उत्पादों के लिए ई-वॉलट, स्मार्ट कार्ड, वाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) का उपयोग करती हैं, अपने उत्पादों के प्रयोक्ताओं को अपने कंपनी नाम सूचित/प्रचारित करती हैं। इससे आम जनता पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत संस्था/कंपनी के नाम का उनके उत्पाद ब्रैंड नाम के साथ सहसंबंध स्थापित नहीं कर पाती।

टीआरईडीएस की स्थापना और परिचालन की समय-सीमा

रिज़र्व बैंक ने 06 फरवरी 2015 को व्यापार प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना और परिचालन के आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 09 मार्च 2015 तक बढ़ा दिया है। इसकी अंतिम तारीख 13 फरवरी 2015 थी। विभिन्न पार्टियों द्वारा अंतिम तारीख तक आवेदन कार्य पूरा करने में बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, 09 मार्च 2015 को कारोबार समय की समाप्ति तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे।

भुगतान प्रणाली का परिचालन करने वाली संस्था की निवल मालियत

पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत संस्था की निवल मालियत के परिकलन में एकरूपता और स्पष्टता लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 16 जनवरी 2015 को दिशानिर्देश जारी किए कि 'निवल मालियत' के अंतर्गत चुकता इक्विटी पूंजी, मुक्त रिज़र्व, शेयर प्रीमियम खाते में शेष तथा ब्रिकी आगमों के माध्यम से प्राप्त बेशी राशि को दर्शाने वाले पूंजी रिज़र्व, जिनके साथ संचित हानि शेष के लिए समायोजित आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित रिज़र्व शामिल नहीं हैं, अमूर्त आस्तियों का बही मूल्य और आस्थगित राजस्व व्यय' शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन और विकास

2,000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवा

रिज़र्व बैंक ने 02 जनवरी 2015 को राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों को सूचित किया कि वे बैंकों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से लागू की जा रही प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अनुरूप 14 अगस्त 2015 तक 2,000 से कम आबादी वाले बैंकिंग सुविधा रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य पूरा करें।

बैंकिंग लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2015 को बैंकिंग लोकपाल योजना की वर्ष 2013-2014 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहक सेवा के संबंध में उठाए गए कदमों तथा वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों द्वारा निपटाए गए कुछ दृष्टांत-योग्य मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें :

- वर्ष 2013-2014 के दौरान बैंकिंग लोकपालों को 76,573 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष में प्राप्त 70,541 शिकायतों की तुलना में 8.55 प्रतिशत अधिक हैं।
- बैंकिंग लोकपालों ने कुल प्राप्त शिकायतों में से 96 प्रतिशत की शिकायतों का निपटान किया।
- कुल प्राप्त शिकायतों में से 32 प्रतिशत शिकायतें प्रत्येक रूप से भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ थीं, 22 प्रतिशत शिकायतें निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध थीं तथा 6.5 प्रतिशत शिकायतें विदेशी बैंकों के विरुद्ध थीं।
- प्रतिबद्धता पूरा न करने, उचित व्यवहार संहिता एवं भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की संहिताओं का पालन न किए जाने से संबंधित शिकायतों (कुल प्राप्त शिकायतों में 26.6 प्रतिशत) का हिस्सा सर्वाधिक रहा। उसके बाद कार्ड संबंधी शिकायतों (24.1 प्रतिशत) का हिस्सा बड़ा रहा।
- अन्य प्रकार की शिकायतों के अंतर्गत निर्धारित कार्य समय का पालन न करने, करों का भुगतान स्वीकार न करने या स्वीकार करने में देरी करने, निर्गम न करने/निर्गम में देरी करने या सेवा न देने, या सेवा देने में देरी करने, या सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन, खातों को बंद करने से इनकार करने या खातों को बंद करने में देरी करने से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।
- वर्ष के दौरान अपील प्राधिकारी ने इस योजना के अंतर्गत 107 अपीलों पर विचार किया।
- आम जनता के बीच इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से बैंकिंग लोकपालों ने वर्ष के दौरान जागरूकता अभियान चलाए।
- बैंकिंग लोकपालों द्वारा निपटाई गई शिकायतों के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा कई ग्राहक-केंद्रित नीतिगत निर्णय लिए गए।

मुद्रा प्रबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक 1 रुपया करेंसी नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक एक रुपया के मूल्यवर्ग में करेंसी नोट संचलन में लाएगा। ये नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए जाएंगे। ये करेंसी नोट सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 में किए गए उपबंधों के अनुसार वैध मुद्रा हैं। इस मूल्यवर्ग के मौजूदा करेंसी नोट भी वैध मुद्रा बने रहेंगे।

एक रुपया करेंसी नोट की आकृति आयाताकार होगी और आकार 9.7 x 6.3 से.मी. का होगा। इसके कागज़ की संरचना 100 प्रतिशत (काटन) रेग कंटेंट, 90 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) +/-3 जीएसएम की सह्यता युक्त / 110 माइक्रोन +/-5 माइक्रोन की सह्यता युक्त है।

समिति/दिशानिर्देश

लघु / भुगतान बैंकों के लिए बाह्य परामर्शदात्री समिति

रिज़र्व बैंक ने 4 फरवरी 2015 को लघु वित्त बैंकों के लिए बाह्य परामर्शदात्री समिति (ईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की -

- अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
- श्री एम.एस. साहू, सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)
- श्री एम.एस. श्रीराम, प्रोफेसर, आईआईएम बंगलुरु और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) में विशिष्ट फेलो
- श्री एम. बालाचंद्रन, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

रिज़र्व बैंक ने *भुगतान बैंकों के लिए बाह्य परामर्शदात्री समिति* (ईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा भी की -

- अध्यक्ष: श्री नचिकेत एम. मोर, निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड
- सुश्री रूपा कुडवा, पूर्व एमडी और सीईओ, क्रिसिल लिमिटेड
- सुश्री शुभलक्ष्मी पान्से, पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक
- श्री दीपक फाटक, चेयर प्रोफेसर, आईआईटी बंबई

इससे पहले रिज़र्व बैंक ने संकेत किया था कि लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के आवेदनों की शुरू में रिज़र्व बैंक द्वारा छंटनी की जाएगी जिससे कि प्रथम दृष्टि में आवेदकों की पात्रता सुनिश्चित हो सके। बैंकरों, चार्टर्ड लेखाकारों, वित्त व्यावसायिकों जैसे प्रसिद्ध व्यावसायिकों वाली बाह्य परामर्शदात्री समिति (ईएसी) इसके बाद मूल्यांकन करेगी और ईएसी के सदस्यों के नाम भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

शहरी सहकारी बैंकों पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति

रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2015 को शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के कारोबार के समुचित स्वरूप, आकार, अंतरण और लाइसेंस संबंधी शर्तों की पुनः जांच और सिफारिश करने के लिए श्री आर. गांधी, उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इसका गठन 20 अक्टूबर 2014 को संपन्न शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की स्थायी परामर्शदात्री समिति की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसरण में किया गया है। एसएसी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संयोजित किया जाने वाला परामर्शदाता निकाय है। इसकी अध्यक्षता सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर) के प्रभारी उप गवर्नर द्वारा की जाती है तथा इस क्षेत्र के प्रतिनिधि, चयनित राज्यों के सहकारी समिति रजिस्ट्रार तथा आईबीए इसके सदस्य हैं।

सीसीबी के कार्यान्वयन संबंधी दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 05 फरवरी 2015 को अपनी वेबसाइट पर भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के कार्यान्वयन संबंधी अंतिम दिशानिर्देश उपलब्ध कराए। सीसीसीबी का ढांचा तत्काल लागू किया गया है। तथापि, सीसीसीबी को परिस्थिति की मांग के अनुसार चालू कर दिया जाएगा।

रिज़र्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह, जिसका अध्यक्ष श्री बी. महापात्र हैं, ने जुलाई 2014 में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के कार्यान्वयन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट में सीसीसीबी निर्णयों के लिए प्रयुक्त संकेतक, बफर को चालू करने की सीमा, बफर की घोषणा की समय-सीमा आदि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**